न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :— श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0— 10 / 2022
अनवान :—

1. रामप्रताप पुत्र हंसराज जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. पोखरराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. फुलचन्द पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

5. सिलोचना पत्नी रामप्रताप जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :— श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक, सायल
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :— 29/09/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 2 केएम के प0न0 219 / 391(21) के किला न0 15 / 2 की 0.1210 ,19 / 1 की 0.2400 ,23 / 0.2530 , प0न0 219 / 392 (29) के किला न0 3 / 0.2530 , 8 / 0.2530 ,13 / 0.2530 ,18 / 0.2530 ,23 / 0.2530 , कुल 1.8790हैक भूमि में सायल 1 / 2 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1 / 2 हिस्स भूमि के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मोजा चक 2 केएम के खाता संख्या 29 / 28 के प0न0 219 / 391(21) के किला न0 16 / 0.2530 ,17 / 0.2530 ,18 / 0.2530 ,22 / 0.2530 ,25 / 0.2530 प0न0 219 / 392(29) के किला न0 2 / 0.2530 ,5 / 1 की 0.2280 ,5 / 2 की 0.0250 ,6 / 1 की 0.2280 ,6 / 2 की 0.0250 ,9 / 0.2530 ,10 / .0.2530 ,15 / 1. की 0.2280 ,15 / 2 की 0.0250 ,16 / 1 की 0.2280 ,16 / 2 की 0.0250 ,25 / 1 की 0.2270 ,25 / 2 की 0.0260 ,प0न0 220 / 392 (28) के किला न0 11 / 2 की 0.1900 ,20 / 2 की 0.2030 ,21 / 2 की 0.2030 कुल 3.8720हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थी अपने खेत प0न0 219 / 391(21) के किला न0 19 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत प0न0 319 / 391(21) के किला न0 23 में उतरी पश्चिमी व किला न0 18 के दक्षिण पश्चिम कोने के मध्य से आवागमन करता है तथा प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी /सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

सायल / प्रार्थी का चक 2 केएम के प0न0 219 / 392(21) के किला न0 19 में आने हेतु अप्रार्थी के किला न0 23 में से होकर ही आवागतन होता रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी रास्ते के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि देने को तैयार है तथा सायल का खाता विभाजन के समय से ही उक्त रास्ता से आवागमन करता आ रहा है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

सायल ने गैरसायल संख्या 1 ता 3 को कई बार निवेदन किया की सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 23 मे उतरी पश्चिमी कोने में व किला न0 18 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से मध्य में से 0.001हैक्‍ रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की रोही मौजा चक 2 केएम में 15.218हैक्‍ भूमि शेराराम, पोखरराम , चिमनाराम, पि0 खेताराम बहिब 3/4 हिस्सा प्रभूराम , रामप्रताप पि0 हसंराज बहिब 1/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया एव खाता विभाजन में सभी काश्तकारो की भूमि को रास्ता छोडा गया था

प0न0 219/392(29) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 एव प0न0 219/391(21) के किला न0 16 ,25 में स्वीकृत रास्ता है से होकर सायल मु0न0 21 के किला न0 15, 14 ,18 ,19 में से जो 1–1 बिश्वा खाता विभाजन में सहमती से रास्ता में छोडी गई है जो मौके पर शेराराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज है व रास्ता के उपयोग में काम में आ रही है इसलिये सायल प0न0 219/391(21) के किला न0 19 में प्रवेश हो जाता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है एव यही रास्ता खाता विभाजन में सहमती से तय किया गया था जो मौके पर चालू है एव हमेशा से इसी रास्ता से आवागमन होता है सायल आपसी रंजिश की वजह से गैरसायलान उतरादाता को परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है सायल को अपने खेत में जाने के लिये पहले से एक रास्ता है जो सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक है इसलिये सायल दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सिर्फ मनगढत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 5 फोरमल पक्षकार है सायल के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया है फोरमल पक्षकार है तथा सायल के द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ भी नही है इसलिये जबाब की आवश्यकता नही है

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष को सुना गया ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 15/2 की 0.1210 ,19/1 की 0.2400 ,23/0.2530 , प0न0 219/392 (29) के किला न0 3/0.2530 , 8/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 , कुल 1.8790हैक्‍ भूमि में सायल 1/2 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्स भूमि के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मोजा चक 2 केएम के खाता संख्या 29/28 के प0न0 219/391(21) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,22/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 219/392(29) के किला न0 2/0.2530 ,5/1 की 0.2280 ,5/2 की 0.0250 ,6/1 की 0.2280 ,6/2 की 0.0250 ,9/0.2530 ,10/.0.2530 ,15/1. की 0.2280 ,15/2 की 0.0250 ,16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250 ,25/1 की 0.2270 ,25/2 की 0.0260 ,प0न0 220/392 (28) के किला न0 11/2 की 0.1900 ,20/2 की 0.2030 ,21/2 की 0.2030 कुल 3.8720हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थी अपने खेत प0न0 219/391(21) के किला न0 19 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत प0न0 319/391(21) के किला न0 23 में उतरी पश्चिमी व किला न0 18 के दक्षिण पश्चिम कोने के मध्य से आवागमन करता है तथा प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी /सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

सायल/प्रार्थी का चक 2 केएम के प0न0 219/392(21) के किला न0 19 में आने हेतु अप्रार्थी के किला न0 23 में से होकर ही आवागतन होता रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी रास्ते के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि देने को तैयार है तथा सायल का खाता विभाजन के समय से ही उक्त रास्ता से आवागमन करता आ रहा है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 23 मे उतरी पश्चिमी कोने में व किला न0 18 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से मध्य में से 0.001हैक्ट रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की रोही मौजा चक 2 केएम में 15.218हैक्ट भूमि शेराराम, पोखरराम , चिमनाराम, पि0 खेताराम बहिब 3/4 हिस्सा प्रभूराम , रामप्रताप पि0 हसंराज बहिब 1/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया एव खाता विभाजन में सभी काश्तकारो की भूमि को रास्ता छोड़ा गया था

प0न0 219/392(29) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 एव प0न0 219/391(21) के किला न0 16 ,25 में स्वीकृत रास्ता है से होकर सायल मु0न0 21 के किला न0 15, 14 ,18 ,19 में से जो 1—1 बिश्वा खाता विभाजन में सहमती से रास्ता में छोडी गई है जो मौके पर शेराराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज है व रास्ता के उपयोग में काम में आ रही है इसलिये सायल प0न0 219/391(21) के किला न0 19 में प्रवेश हो जाता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है एव यही रास्ता खाता विभाजन में सहमती से तय किया गया था जो मौके पर चालू है एव हमेशा से इसी रास्ता से आवागमन होता है सायल आपसी रंजिश की वजह से गैरसायलान उतरादाता को परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है सायल को अपने खेत में जाने के लिये पहले से एक रास्ता है जो सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक है इसलिये सायल दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सिर्फ मनगढत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया रोही मोजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 15/2 की 0.1210 ,19/1 की 0.2400 ,23/0.2530 , प0न0 219/392 (29) के किला न0 3/0.2530 , 8/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 , कुल 1.8790हैक्ट भूमि में सायल 1/2 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्स भूमि के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मोजा चक 2 केएम के खाता संख्या 29/28 के प0न0 219/391(21) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,22/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 219/392(29) के किला न0 2/0.2530 ,5/1 की 0.2280 ,5/2 की 0.0250 ,6/1 की 0.2280 ,6/2 की 0.0250 ,9/0.2530 ,10/.0.2530 ,15/1. की 0.2280 ,15/2 की 0.0250 ,16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250 ,25/1 की 0.2270 ,25/2 की 0.0260 ,प0न0 220/392 (28) के किला न0 11/2 की 0.1900 ,20/2 की 0.2030 ,21/2 की 0.2030 कुल 3.8720हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तथा गैरसायलान का कथन है कि सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्वा रास्ता पूर्व में उपलब्ध है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता पूर्व मे ही उपलब्ध है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता चालू नही है ना ही सायलान के उपयोग में आ रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत जमाबन्दीयो एव नजरी नक्शा के अनुसार रोही मौजा चक 2 केएम के मुरब्बा नम्बर 21 के किला न0 19 व 23 सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मुरब्बा नम्बर 21 के किला न0 18 ,22 गैरसायलान संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि दर्ज है जो प्रस्तुत नजरी नक्शा जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

सायल के द्वारा मु0न0 21 के किला न0 19 से 23 में जाने के लिये रास्ता नही है इसलिये सायल गैरसायलान के मु0न0 21 के किला न0 18 ,22 के मध्य के कोने में से किला न0 23 एव उसके चिपती हुई भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है जो प्रस्तुत नजरी नक्शा से न्यायोचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एव नजरी नक्शा के अनुसार सायल को मुरब्बा न0 21 के किला न0 23 में जाने के लिये रास्ता नही है इसलिये सायल गैरसायलान के किला न0 18 ,22 के मध्य के कोने से किला न0 23 व इसके चिपते हुए किलो में प्रवेश करने लिये रास्ता चाहता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरी नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित प्रतीत होता है सायल को इससे अधिक नजदीकी सुविधाजनक रास्ता नही हो सकता है।

तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा /मौका से पूर्णत्या स्पष्ट है कि गैरसायलान की भूमि के किला न0 18 ,22 के मध्य कोने मे नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाता है तो सायल की भूमि आपस से जुड जाती है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी भूमि में जाने के लिये नही है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित प्रतीत होता है।

किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुच का रास्ता दिया जाना विधिसम्मत है।

न्यायालय में प्रकरण संख्या 10/2022 अनवानी पोखराम बनाम रामप्रताप विचाराधीन है जिसमें हस्तगत प्रकरण का गेरसायलान द्वारा सायलान की भूमि में से रास्ता चाहा जा रहा है "मु0न0 21 के किला न0 18 से 22 में जाने के लिये रास्ता नही है इसलिये सायलान गैरसायलान के मु0न0 21 के किला न0 19 ,23 के मध्य के कोने में से किला न0 22 एव उसके चिपती हुई भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है"

इस प्रकार प्रकरण संख्या 10/2022 अनवानी पोखरराम बनाम रामप्रताप एव प्रकरण संख्या 09/2022 अनवानी रामप्रताप बनाम पोखरराम में पक्षकार एक दुसरे से अपने अपने खेत में जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है दोनो पक्षों को अपनी अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार नोहर के मौका नजरीया नक्शा के अनुसार सायलान के लिये प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य /सबुतों /नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391 (21) के किला न0 23 के उतरी साईड में पश्चिमी कोना व किला न0 18 के दक्षिणी पश्चिमी कोने के मध्य मे से 0.001हैक भूमि में रास्ता स्वीकर किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसायलान संख्या 1 ता 3 को वर्तमान बाजार भाव (डीएलसी) दर से राशि देंगा तदाउपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 3114 दिनांक 29/09/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 09 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/09/2022

अनवान :–

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र हंसराज जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 पोखरराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. फुलचन्द पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. महेंन्द्र पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

5. सिलोचना पत्नी रामप्रताप जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219 / 391 (21) के किला न0 23 के उतरी साईड में पश्चिमी कोना व किला न0 18 के दक्षिणी पश्चिमी कोने के मध्य मे से 0.001हैक भूमि में रास्ता स्वीकर किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसायलान संख्या 1 ता 3 को वर्तमान बाजार भाव (डीएलसी) दर से राशि देंगा तदाउपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner